भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1610
जिसका उत्तर शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को दिया जाना है

विधि विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीयकरण

1610. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे :
श्री उन्मेश भय्यासाहेब पाटिल :
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत :
डॉ. सुजय विखे पाटील :
श्री कृष्णपालसिंह यादव :
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का देश में विधि अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए कोई नई छात्रवृत्तियां शुरू करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने विधि और न्याय अनुसंधान क्षेत्र की ओर विद्यार्थियों को उन्मुख करने के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप को और अधिक आकर्षक और समग्र अनुभव बनाने के लिए योजनाएं शुरू करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) संबंधित राज्य अधिनियमिति के माध्यम से स्थापित किया गया है और इस संबंध में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है ।

(ख) : 'मेरिट-कम-मीन्स' छात्रवृत्ति के अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार के साथ-साथ, राज्य सरकारों द्वारा विधि के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । साथ ही, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों सहित विभिन्न श्रेणियों में आने वाले विद्यार्थियों को केंद्रीय/राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है । राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से छात्रों को बहुत आसान शर्तों पर शैक्षणिक ऋण भी प्रदान किया जाता है । केंद्रीय सरकार के पास विधि पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए कोई नई छात्रवृत्ति प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) और (घ) : विधि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम उनके द्वारा तैयार किए जाते हैं । विभिन्न विधियों और विधिशास्त्र पर सैद्धांतिक कक्षाओं के अतिरिक्त पाठ्यक्रम की प्रकृति और प्ररूप में अंत:विषय अनुसंधान, नैदानिक पाठ्यक्रम, इंटर्नशिप, आदि शामिल है । विभिन्न विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष की

संरचना इस तरह से डिजाइन की गई है कि विद्यार्थियों को पेशेवर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के प्रयोजन से अनुसंधान और इंटर्नशिप करने की अनुमति मिलती है, जिससे छात्रों में विधि की समग्र समझ पैदा होती है । इसके अतिरिक्त, इंटर्नशिप संघटक यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विद्यार्थी, इसमें पूरी जानकारी प्राप्त करे और न्यायाधीशों, ज्येष्ठ अधिवक्ताओं, विधि फर्मों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, एनजीओ, पीएसयू, कारपोरेट घराने, आयोगों, मंत्रालयों, राज्य के विभागों, आदि के साथ इंटर्नशिप प्राप्त करने को सुकर बनाते हुए कार्यस्थल पर अधिकतम अभिज्ञता प्राप्त हो । केंद्रीय सरकार विधि के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित करती है, जिसका प्रयोजन उन्हें परिचित कराना और सरकार के कामकाज में अनुसंधान और नवीन कार्य के क्षेत्र में उनकी क्षमता को बढ़ाना है और संवैधानिक और प्रशासनिक विधि, वित्त क्षेत्र की विधियां, श्रम विधियां, अभिहस्तांतरण-लेखन, माध्यस्थम और संविदा विधि आदि विभिन्न विशेषीकृत क्षेत्रों में विधिक सलाह देना है ।

****